4. क्षेत्रीय कमीशन

इटली में, अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय कमीशन ही एकमात्र अधिकृत संस्था है जो आपके शरणार्थी आवेदन की जाँच कर सकती है।
आपके आवेदन की जाँच एक **साक्षात्कार** के माध्यम से होगी, जिस में आप को अपनी भाषा व लिंग के ही दुभाषिया की उपस्थिति की माँग करने का अधिकार है। आपके साक्षात्कार का विडियो भी बनाया जा सकता है। यदि आप इस से असहमत हैं, तो आप अपने कारण कमीशन को बता सकते हैं, जो कि आपके आवेदन पर निर्णय लेगा।

सभी पड़ाव पर, किन्तु मुख्य रूप से इस समय, आप को ऐसे दस्तावेज़, निजी स्मृतियाँ, चिकित्सा प्रमाणपत्र, फोटो या चित्र, अथवा कोई अन्य सबूत जो संरक्षण के आपके आवेदन के लिए आप उपयोगी समझती/ते हैं वे दिखाने का अवसर मिलेगा।

क्षेत्रीय कमीशन **शरणार्थी अवस्था**, **सहायक संरक्षण** प्रदान कर सकता है अथवा एक नकारने का निर्णय ले सकता है। नकारात्मक निर्णय की अवस्था में, क्षेत्रीय कमीशन आपको **विशेष संरक्षण** नामक एक अन्य प्रकार का अतिरिक्त संरक्षण प्रदान कर सकता है, यदि आप अपने देश लौटती/ते हैं तो आप के जीवन को खतरा हो सकता है।
यदि आप कमीशन द्वारा लिए गए निर्णय से असहमत हैं, तो आपको अपील करने का अधिकार है। आपको निःशुल्क क़ानूनी सहायता का अधिकार भी है।

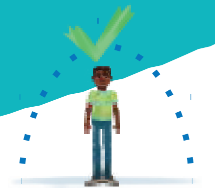

शरणार्थी अवस्था

सहायक संरक्षण

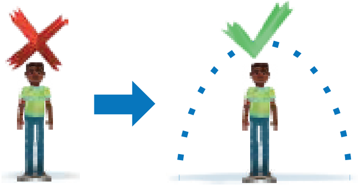

नकारने का निर्णय विशेष संरक्षण

5. संरक्षण लाभार्थी के अधिकार

यदि आपको संरक्षण का कोई एक प्रकार प्रदान किया जाता है तो आपको **निवास परमिट** या अनुज्ञा पत्र मिलने का अधिकार है, जिस की अवधि आप को किस प्रकार मान्यता दी जाती है उस के आधार पर भिन्न होती है - यदि अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण होता है तो पाँच वर्ष, अर्थात् शरणार्थी अवस्था और सहायक संरक्षण; यदि विशेष संरक्षण होता है तो दो वर्ष।
जब यह समाप्त हो जाएगा, तब आप अपना निवास परमिट पुनः जारी करने या **नवीनीकरण** करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको **रोज़गार करने**, **पढ़ाई करने** व **चिकित्सा** प्राप्त करने का अधिकार है।

यदि आपको शरणार्थी अवस्था और सहायक संरक्षण अवस्था प्राप्त है तो आप यूरोप में अधिकतम नब्बे दिनों तक की **यात्रा** करने के लिए दस्तावेज़ का आवेदन कर सकते हैं।

- शरणार्थी अवस्था
- सहायक संरक्षण

- विशेष संरक्षण

यह दस्तावेज़ आपके अपने मूल देश को छोड़ कर अन्य ग़ैर-यूरोपीय देशों में भी मान्य है। किसी भी स्थिति में, प्रस्थान करने से पहले, जिस देश में आप जाना चाहती/ते हैं उस देश के दूतावास को सदा सूचित करें।

परिवार पुनर्मिलन नामक प्रकिया के माध्यम से आपको अपने परिवार को इटली में क़ानूनी व सुरक्षित रूप से ले कर आने का अधिकार भी है।

यह ध्यान रखें कि, यदि आपको प्रक्रिया के किसी भी पहलू के विषय में कोई भी दुविधा हो अथवा कुछ अधिक सूचना की आवश्यकता हो, तो आप जिस केन्द्र में रहती/ते हैं उस के क़ानूनी प्रतिनिधि, **यू°एन°एच°सी°आर°**, यू°एन° शरणार्थी संस्था, या आप के द्वारा चुने गए किसी अन्य पनाह या आश्रय में विशेषज्ञ संगठन से संपर्क कर सकती/ते हैं।

आपको रोज़गार करने, पढ़ाई करने व चिकित्सा प्राप्त करने का अधिकार है।

Progetto co-finanziato dall'Unione Europea
MINISTERO DELL'INTERNO
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

HELPLINE
800 905 570
9:00 - 5:00 pm From Monday to Friday
numeroverderifugiati@arci.it
Lycamobile + 39342 775 4946

UNHCR
The UN Refugee Agency

scan to find information

HELP.UNHCR.ORG	TELEGRAM	JAMAMAP.IT
asylum, rights and duties, and dedicated service	Opportunities, events,and dedicated service	Service mapin 19 lenguages

IN CASE OF EMERGENCY
24/7 - free - confidential

Police and Ambulance	Antiviolence Helpline	Antitrafficking Helpline
112	1522	800 290 290 LYCAMOBILE + 39342 775 4946

क्या आपको संरक्षण की आवश्यकता है?

1. इटली में विदेशी नागरिकों के क्या अधिकार व कर्तव्य होते हैं जब वह प्रवेश करते हैं?

आपका स्वागत है, आप इटली पहुँच गई/ गए हैं। इसका अर्थ है कि आप यूरोपीय संघ के भीतर हैं।
जो कोई भी व्यक्ति इटली पहुँचता है उसे स्वयं की पहचान करवाने के लिए **राष्ट्रीय प्राधिकारी** के सामने अवश्य पेश होना चाहिए। पुलिस से ना डरें, पुलिस आप की सहायता व रक्षा कर सकती है।

पहचान करने के लिए, आपको ठीक व पूर्ण रूप में अपना नाम, उपनाम, जन्म की तिथि, जिस देश में आपका जन्म हुआ था और जिस देश की/के आप नागरिक हैं बताना होगा। यदि आपके पास इस समय कोई भी **दस्तावेज़** हैं, तो दिखाएँ।
यदि आप अपने परिवार के सदस्यों सहित यात्रा कर रहीं/रहे हैं तो यह बताना महत्त्वपूर्ण है। यह भी महत्त्वपूर्ण है कि आप समझाएँ कि आपने अपना देश क्यों छोड़ा है व इटली में किस कारण से प्रवेश किया यह बताएँ।
पहचान करने की प्रक्रिया के अंतर्गत आपका **चित्र या फोटो व उँगलियों के निशान** लिए जाएँगे। यह आने वाले सभी नए लोगों हेतु लागू सामान्य प्रक्रिया है।

यह महत्त्वपूर्ण है कि आपको जो सूचनाएँ उपलब्ध की जाती हैं व जो कुछ बताया जाता है उसे आप समझें और आप द्वारा दिए गए बयान उन दस्तावेज़ों में सही रूप में दर्ज किए गए हों जिन पर आप ने हस्ताक्षर किया हैं। इसलिए, यदि आपको कुछ स्पष्ट नहीं हो अथवा शंकाएँ हों, तो आप **एक दुभाषिया की सहायता** से स्पष्टीकरण माँग सकती/ते हैं।

HIN

यदि आप की आयु **18 वर्ष से कम** है और आप अकेले यात्रा कर रही/रहे हैं, तो तुरंत अधिकारियों अथवा, यदि उपलब्ध हों तो, मानवीय संगठनों को सूचित करें। इटली में अपने आप अकेले पहुँचने वाले बच्चों को संरक्षित होने और उनके लिए समर्पित भेंट/स्वागत केन्द्रों में प्रवेश पाने का अधिकार है। उन को इटली में रुकने का और एक अभिभावक द्वारा सहायता प्राप्त करने का अधिकार भी है।

यदि आप को **स्वास्थ्य संबंधित कठिनाई** अथवा कोई अन्य विशिष्ट आवश्यकता है तो, तुरंत अधिकारियों अथवा, यदि उपलब्ध हों तो, मानवीय संगठनों को अवगत करें।

2. प्रक्रिया में पहुँच प्राप्त करना

यदि आप अपने मूल देश में लौटने से इसलिए भयभीत हैं क्योंकि आप अथवा आपके परिवार के जीवन को खतरा है, तो आपको संरक्षण माँगने का अधिकार है।
यदि आपके पास कोई भी नागरिकता नहीं है और आप वर्तमान में जिस देश में निवास करती/ते हैं वहाँ लौटने से इसलिए भयभीत हैं क्योंकि आप अथवा आपके परिवार के जीवन को खतरा है, तो आपको संरक्षण माँगने का अधिकार है।
यदि आपको आपकी नस्ल या जाति, राष्ट्रीयता, जातीय समूह की सदस्यता, धर्म, राजनीतिक मत या विचार के आधार पर **सताया गया था** अथवा **सताए जाने का भय है**, यदि आप किसी विशिष्ट सामाजिक समूह की/के सदस्य हैं और हिंसा अथवा दासता का पीड़ित बन जाने का भय है, यदि आपको मृत्युदंड मिलने, यातनाएँ सहने का भय है अथवा आप एक युद्ध ग्रस्त क्षेत्र से आई/आए हैं, तो आप संरक्षण माँग सकती/ते हैं।

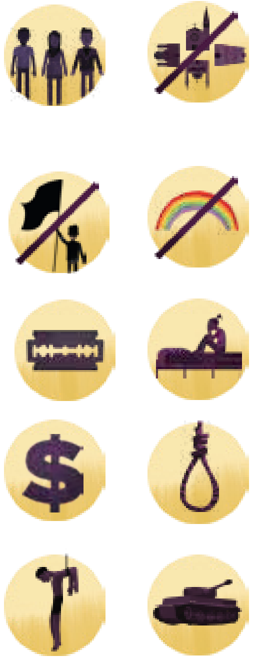

जब आपके द्वारा अपने देश में लौटने का भय व्यक्त किया जाएगा तो उस के बाद, अधिकारियों द्वारा आपको **शरण प्रार्थी** के रूप में माना जाएगा।
आपके शरण के निवेदन को दर्ज या रजिस्टर करने के लिए आपको **इतालवी पुलिस** से अवश्य संपर्क करना चाहिए। इसके बाद आपका निवेदन उस विशेष कमीशन को आगे भेजा जाएगा जिसका कार्य आपके आवेदन पर विचार कर के आकलन करना है।

फिर इस के बाद पुलिस का आप्रवासन कार्यालय, **आपकी भाषा का दुभाषिया** सहित **C3 (सी3)** नामक फॉर्म या प्रपत्र भरने में आप की सहायता करेगा, इस फॉर्म में आपका जातीय समूह, आपकी भाषा, आपके धर्म जैसी कुछ अधिक विस्तृत व्यक्तिगत या निजी सूचनाएँ होती हैं।
इस चरण में, अधिकारी, यूरोप तक पहुँचने आप की यात्रा कैसे हुई यह पूछेंगे, क्या आपको अपने देश में अथवा यात्रा करते समय यातना, मानसिक आघात या सदमा, हिंसा और कारावास या नज़रबंदी का सामना करना पड़ा था, यदि आप राजनीतिक दलों की/के सदस्य हैं, यदि आपके परिवार के सदस्य इटली अथवा यूरोप में हैं तथा यदि आपके पास दस्तावेज़ हैं।
यदि आप को **स्वास्थ्य संबंधित कठिनाईयाँ** अथवा अन्य **विशिष्ट आवश्यकताएँ** हैं, तो आप अब और प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय इन के विषय में बातचीत कर सकती/ते हैं। दरअसल, यदि आप गंभीर बीमारियों अथवा मानसिक **संकट** से पीड़ित हैं, अथवा आपको यातना, बलात्कार अथवा मनोवैज्ञानिक, शारीरिक अथवा यौन हिंसा के अन्य गंभीर रूपों से प्रताड़ित किया गया था, तो आपको उचित सहायता और विशेष सेवाएँ प्राप्त करने का अधिकार है।

इस चरण में, स्पष्ट रूप से समझाएँ कि आप किन **कारणों** के आधार पर संरक्षण की माँग कर रही/रहे हैं। यदि आप ऐसा चाहती/ते हैं तो आप इन कारणों को लिखित में जमा कर सकती/ते हैं।
इस चरण में, यदि आवश्यकता है, तो **भेंट/स्वागत केन्द्रों** में रहने की माँग कर सकती/ते हैं।
यह महत्त्वपूर्ण है कि आप से जो कुछ कहा जाता है उसे आप समझें और आप द्वारा दिए गए बयान दस्तावेज़ों में सही रूप में दर्ज किए गए हों। यदि कोई बिन्दु या विषय आपको स्पष्ट नहीं है, तो जो बात कही गई है उस का स्पष्टीकरण करने के लिए दुभाषिया से पूछें।
साक्षात्कार पूरा हो जाने पर वह आपको इस फॉर्म या प्रपत्र पर हस्ताक्षर या दस्तख़त करने को कहेंगे व इस की एक प्रतिलिपि या नक़ल देंगे। इसे एक सुरक्षित स्थान पर रखें।
आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी व सूचनाएँ अत्यंत **गोपनीयता** के साथ सहेजा व रखा जाएगा और इसे आप के मूल देश के अधिकारियों, अथवा अन्य तीसरे देशों के साथ साझा नहीं किया जाएगा।
कुछ मामलों या परिस्थितियों में, संरक्षण के आपके आवेदन पर विचार कर के आकलन एक विशिष्ट तेजी से **त्वरित प्रक्रिया** द्वारा किया जा सकता है जिस में कम अवधि में कार्य पूरा किया जाता है। स्वास्थ्य संबंधित कठिनाईयाँ अथवा अन्य विशिष्ट आवश्यकताएँ होने की परिस्थिति में आपको अधिकार है कि, आपके आवेदन की अग्रता से या जल्द जाँच की जाए।
यह ध्यान रखें कि, यदि आपको अधिक सूचना की आवश्यकता है, तो आप केन्द्र के क़ानूनी सलाहकार अथवा आप्रवासन कार्यालय से संपर्क कर सकती/ते हैं।

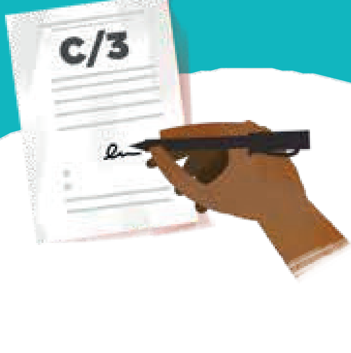

यदि आप गंभीर बीमारियों अथवा मानसिक संकट से पीड़ित हैं, अथवा आपको यातना, बलात्कार अथवा मनोवैज्ञानिक, शारीरिक अथवा यौन हिंसा के अन्य गंभीर रूपों से प्रताड़ित किया गया था, तो आपको उचित सहायता और विशेष सेवाएँ प्राप्त करने का अधिकार है।

संरक्षण

शरण प्रार्थी के रूप में, यदि आपको आवश्यकता है, तो आपको एक विशेष केन्द्र में आगमन व स्वागत पाने का, **अस्थाई निवास परमिट** या अनुज्ञा पत्र लेने और आप के आवेदन की जाँच होने की प्रतीक्षा में इतालवी क्षेत्र में रहने का अधिकार है। यह ध्यान रखें कि, जब तक आप शरण प्रार्थी हैं तब तक आप इतालवी क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकती/ते हैं।

C3 (सी3) भरने के दो माह बाद आप को इटली में क़ानूनी रूप से **रोज़गार करने का अधिकार** प्राप्त होगा।

यह ध्यान रखें कि, प्रक्रिया की पूरी अवधि के दौरान, आपको यू॰एन॰एच॰सी॰आर॰, यू॰एन॰ शरणार्थी संस्था, या आप के द्वारा चुने गए किसी अन्य पनाह या आश्रय में विशेषज्ञ संगठन से संपर्क करने का अधिकार है।

यह ध्यान रखें कि, जब तक आप शरण प्रार्थी हैं तब तक आप इतालवी क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकती/ते हैं।

3. डब्लिन अधिनियम

जिस समय से आप इस देश में हैं, तो यह इटली का दायित्व है कि आप सुरक्षित हों और, इसलिए संरक्षण के आपके आवेदन का पंजीकरण या रजिस्टर करने का कार्य इटली द्वारा पूरा किया जाएगा।

सामन्य रूप से, आपके शरण के आवेदन पर विचार कर के आकलन करने का उत्तरदायित्व उस देश का होता है जहाँ से आपने यूरोप में सबसे पहले प्रवेश किया था। किन्तु, यदि अन्य **यूरोपीय देशों** में आपके परिवार के सदस्य रहते हैं, अथवा यदि आपको अन्य यूरोपीय देशों द्वारा दस्तावेज़ जारी किए गए थे, तो आपके आवेदन की जाँच उस दूसरे देश द्वारा की जा सकती है, जहाँ पर आपको क़ानूनी व सुरक्षित रूप से ट्रांस्फर कर के भेजा जा सकता है।

इस कारण से, यह महत्त्वपूर्ण है कि आप जितना शीघ्र या जल्दी हो सके अधिकारियों को सूचित करें यदि किसी अन्य यूरोपीय देश में आपके **परिवार की/का सदस्य** है।

इस प्रक्रिया का नाम "**डब्लिन प्रक्रिया**" है, व इस का एकमात्र उद्देश्य उस देश की पहचान करना है जहाँ आपकी शरण प्रक्रिया की जाएगी, किन्तु जिन कारणों से व क्यों आपने संरक्षण का आवेदन किया है यह इस के अंतर्गत नहीं देखा जाता है। डब्लिन प्रक्रिया यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों सहित नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्ज़रलैंड और लिकटेंस्टीन पर भी लागू होती है।